



कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,

झारखण्ड, राँची ।

वन भवन, डोरण्डा, राँची



e-mail : pccf-development@gov.in

०६५१-२४८१८१३/ ९३०४७२७८५२

पत्रांक : ०१/ यो०बजट-१५/ २०१९- ३५४ दिनांक : २७/६/२०२२

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, देवघर वन प्रमण्डल/ हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल/ चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल/ चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल/ बोकारो वन प्रमण्डल/ गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल/ दुमका वन प्रमण्डल/ गोड़जा वन प्रमण्डल/ मेदिनीनगर वन प्रमण्डल/ गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल/ जमशेदपुर वन प्रमण्डल/ सरायकेला वन प्रमण्डल/ राँची वन प्रमण्डल/ खूँटी वन प्रमण्डल/ गुमला वन प्रमण्डल/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, आदित्यपुर/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, गढ़वा/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, लातेहार/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, दुमका।

विषय :—

वित्तीय वर्ष 2022-23 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण” योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत देवघर के सरासनी में वनभूमि पर वृक्षारोपण (स्थल विशेष प्राक्कलन के अनुरूप), जल संरक्षण—सह—वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) हेतु कुल रु० 162.619 लाख (एक करोड़ बासठ लाख एकसठ हजार नौ सौ रुपये) मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:—

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या ४/ यो०ब०-४८/ २०१९-३५/ स्वी० व०प० दिनांक ०५.०९.२०१९ एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या ०४/ यो०बजट-३२/ २०२०-५/ आ० व०प० दिनांक २३.०६.२०२२ ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष २४०६—वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-०१ वानिकी, लघु शीर्ष-१०१ वन संरक्षण, विकास तथा सम्पोषण, उप शीर्ष-५८—अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल रु० 162.619 लाख (एक करोड़ बासठ लाख एकसठ हजार नौ सौ रुपये) का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:—

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S24060110158010103	147.356
आपूर्ति एवं सामग्री	19S24060110158010323	15.263
कुल :-		162.619

२. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक-१ (क) से (ख) पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने—अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को सम्पर्क एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर अनुलग्नक-२, तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-३ पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या—19S24060110158010103, 19S24060110158010323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जायेगा।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तरीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड के निर्धारित दर तक सीमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/DBT/डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा, साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी प्रकार का Cash भुगतान नहीं किया जायेगा।

7. कोषागार से निकासी के संबंध में योजना—सह—वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा समय—समय पर निर्गत आदेश/निर्देश लागू होंगे।

8. वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा एतद संबंधी पत्र—परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय—समय पर निर्गत सुसंगत दिशा—निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।

10. योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इनके प्रावक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी एवं इसकी एक प्रति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास कार्यालय को समर्पित की जायेगी।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

12. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अन्तर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

13. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोकर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

14. वैधानिक लेवी/करों, विनियम दरों/अनुसूचित दरों में परिवर्तन होने के कारण स्वीकृत राशि में परिवर्तन मन्त्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची की

अधिसूचना संख्या 301 दिनांक 11.03.2015 के तहत अनुमान्य होगा, अन्य किसी प्रकार के दर में परिवर्तन हेतु राज्य सरकार की पुर्वानुमति अनिवार्य होगी।

15. योजनाओं में सामग्रियों का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

16. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निर्हित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

17(I). ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व में संतोषजनक कार्य नहीं किए हैं तथा वित्तीय अनुशासन का सख्ती से पालन नहीं करते हैं उन्हें चिन्हित कर विशेष निगरानी रखेंगे।

(II) ऐसे वन क्षेत्र पदाधिकारी जिन्होंने लेखा सर्वपण में विलंब किया जिसके कारण प्रमंडलीय लेखा में विलंब हुआ, उनके कार्यों का स्थल जाँच, उत्तरजीविता प्रतिशत का सत्यापन GIS Photography के साथ कर record में रखे तथा मासिक लेखा प्राप्त होने तथा समायोजन होने के बाद राशि दी जाय।

(III) बड़े अग्रिम, वन क्षेत्र पदाधिकारी को ना दिये जायें। भुगतान तथा समायोजन के बाद ही अग्रेतर राशि दी जाय।

(IV) Muster roll में अन्य व्यौरा के साथ-साथ बैंक का नाम, Account number तथा IFSC कोड भी अंकित रहेगा। यथा संभव mobile number भी संधारित किया जाय।

(V) लेखा समायोजन में पूर्व निर्धारित Document के साथ-साथ संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी के Bank Account का Printout जिसमें संबंधित मजदूरों के भुगतान का साक्ष्य है, इसे भी प्राप्त कर लेखा समायोजन किया जाय।

(VI) एक वर्ष में सेवानिवृत होने वाले कर्मियों के अग्रिम/भुगतान समायोजन पर वन प्रमंडल पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विशेष ध्यान देंगे।

(VII) पूर्व से गबन के आरोपी, गड़बड़ी करने वाले कार्यों पर वन प्रमंडल पदाधिकारी विशेष निगरानी की व्यवस्था रखेंगे तथा ऐसे मामलों की व्यक्तिगत जाँच ज्यादा की जाय।

(VIII) राशि की विमुक्ति के पूर्व संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी उत्तरजीविता प्रतिशत की सूचना प्राप्त कर स्थल जाँच कर प्रतिवेदन देना सुनिश्चित करेंगे। योजना के विरुद्ध राशि विमुक्त अधियाचना में उत्तरजीविता प्रतिशत की जानकारी संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी/वनपाल/वनरक्षी के संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त करें। अगर मानक के अनुरूप यह नहीं है तो दोषियों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जाय।

(IX) मासिक लेखा में पूर्व माहों का समायोजन कम से कम 75% होने के बाद ही अग्रेतर राशि जो आगामी माह में व्यय योग्य है, वही दी जाय। पूरे वर्ष की राशि एक साथ एकमुश्त विमुक्त न हो।

(X) COVID-19 के protocol का पालन सभी कार्यों में किया जाय।

(XI) श्रोत पर (At source-TDS) यथा आयकर (Income tax), GST/VAT Profession tax इत्यादि की कटौती का दायित्व वन प्रमंडल पदाधिकारी का होगा। किसी भी उल्लंघन के लिए वन प्रमंडल पदाधिकारी स्वतः जिम्मेवार होंगे।

18. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

19. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का ऑकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

20. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेखा/लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-15/2019- 347 दिनांक- 27/6/2022

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, दक्षिणी छोटानागपुर, राँची/ उत्तरी छोटानागपुर एवं पलामू हजारीबाग/संथाल परगना, दुमका/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/ हजारीबाग/ बोकारो/ पलामू/ जमशेदपुर/ राँची/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका/ देवघर/ चतरा/ हजारीबाग/गिरिडीह/ बोकारो/ मेदिनीनगर/ गढ़वा/ जमशेदपुर/ सरायकेला/ राँची/ गुमला/ एनवीस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-15/2019- 347 दिनांक- 27/6/2022

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, देवघर/ हजारीबाग/ चतरा/ धनबाद/ बोकारो/ गिरिडीह/ दुमका/ गोड़डा/ मेदिनीनगर/ गढ़वा/ जमशेदपुर/ सरायकेला-खरसावां/ डोरण्डा, राँची/ गुमला/ लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2022-23 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण” योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत देवघर के सरासनी में वनभूमि पर वृक्षारोपण (स्थल विशेष प्राक्कलन के अनुरूप) का सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) का उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र. सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य (हे० में)	वित्तीय वर्ष 2022-23 (चतुर्थ वर्ष)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
i	ii	iii	iv	v	vi
1	देवघर वन प्रमण्डल, देवघर	5	1.881	0.079	1.960
	योग :-	5	1.881	0.079	1.960

अनुलग्नक-1 (ख)

वित्तीय वर्ष 2022-23 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण” योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत जल संरक्षण-सह- वृक्षारोपण का कार्य (1000 पौधा प्रति हे०) का सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) का प्रमण्डलवार उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र. सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य (हे० में)	वित्तीय वर्ष 2022-23 (चतुर्थ वर्ष)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
i	ii	iii	iv	v	vi
1	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल	100	9.207	0.961	10.168
2	चतरा उत्तरी वन प्रमंडल	100	9.207	0.961	10.168
3	चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल	150	13.811	1.442	15.253
4	बोकारो वन प्रमंडल	60	5.524	0.577	6.101
5	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल	200	18.415	1.922	20.337
6	दुमका वन प्रमंडल	100	9.207	0.961	10.168
7	गोड्डा वन प्रमंडल	60	5.524	0.577	6.101
8	मेदिनीनगर वन प्रमंडल	150	13.811	1.442	15.253

क्र. सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य (₹० में)	वित्तीय वर्ष 2022-23 (चतुर्थ वर्ष)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			9207.36	961.00	10168.36
i	ii	iii	iv	v	vi
9	गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल	50	4.604	0.481	5.085
10	जमशेदपुर वन प्रमंडल	100	9.207	0.961	10.168
11	सरायकेला वन प्रमंडल	100	9.207	0.961	10.168
12	राँची वन प्रमंडल	100	9.207	0.961	10.168
13	खूंटी वन प्रमंडल	60	5.524	0.577	6.101
14	गुमला वन प्रमंडल	50	4.604	0.480	5.084
15	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, आदित्यपुर	50	4.604	0.480	5.084
16	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, गढ़वा	50	4.604	0.480	5.084
17	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, लातेहार	50	4.604	0.480	5.084
18	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, दुमका	50	4.604	0.480	5.084
योग :—		1580	145.475	15.184	160.659
सकल योग :—			147.356	15.263	162.619

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर
योजना का नाम : अवकृष्ट वनों का पुनर्वास वृक्षारोपण (1000 पौधे प्रति हेक्टेक्टर)

पौधों की संख्या प्रति हेक्टेक्टर : 1000 पौधे

मजदूरी दर 326.85 प्रति मानव दिवस

स्पेसिंग 3m x 3m अथवा 2m x 2m अथवा 3m x 2m (रिक्त स्थान की उपलब्धता अनुसार)

क्र० सं०	कार्य विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A)	सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष)						
1	एक कोड़नी-निकौनी	हेक्टेक्टर	14.00	4575.90	0.00	4575.90	
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/ यूरिया, जैविक खाद,	हेक्टेक्टर	0.00	0.00	785.00	785.00	
3	पौधों की सुरक्षा		12.17	3977.76	0.00	3977.76	
4	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	6 चेन प्रति हेक्टेक्टर	2.00	653.70	176.00	829.70	
योग :-			28.17	9207.36	961.00	10168.36	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची



आवंटन आदेश

झारखण्ड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाएं गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती हैं

पत्र संख्या - 01/YB-15/2019/342

दिनांक -

25-Jun-2022

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	31731	DGRFORE88 RAJ KUMAR SAH DFO DEO.FOR.DIV.DEO. 03 - मजदूरी	188,100.00 रुपये एक लाख अठवासी हजार एक सौ
2	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	31732	HZBFWL005 RAVINDRA NATH MISHRA I.F.S. D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB 03 - मजदूरी	920,700.00 रुपये नौ लाख बीस हजार सात सौ
3	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	31733	CTRFOR002 R.THANGA PANDIAN D.F.O, NORTH DIV. CHATRA 03 - मजदूरी	920,700.00 रुपये नौ लाख बीस हजार सात सौ
				State Scheme : NA Central Scheme : NA
				State Scheme : NA Central Scheme : NA
				State Scheme : NA Central Scheme : NA


योगः

रुपये बीस लाख उन्तीस हजार पौंच सौ

2,029,500.00

क्रमिक योगः

(NAND KISHORE SINGH)
ADDI PCCE DEV JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 24060110158010103	31734	CTRFOR003	1,381,100.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी		SURENDRA PRASAD	रुपये तेरह लाख इक्कालीसी हजार
	01 - वानिकी		SUMAN	एक सौ
	101 - बन संरक्षण, विकास तथा संपोषण		D.F.O. SOUTH DIVN.	
	58 - अधिसूचित बन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण		CHATRA	
	01-अधिसूचित बनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण			
	01 - वेतन एवं भत्ते		03 - मजदुरी	
	State Scheme :	NA		
	Central Scheme :	NA		
5	S 19 24060110158010103	31735	BKRFOR001	552,400.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी		ARUN KUMAR SINGH	रुपये पाँच लाख बावन हजार चार
	01 - वानिकी		D F O, BOKARO	सौ
	101 - बन संरक्षण, विकास तथा संपोषण			
	58 - अधिसूचित बन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण			
	01-अधिसूचित बनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण			
	01 - वेतन एवं भत्ते		03 - मजदुरी	
	State Scheme :	NA		
	Central Scheme :	NA		
6	S 19 24060110158010103	31736	GRDFOR003	1,841,500.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी		SHABA ALAM ANSARI	रुपये अठारह लाख इक्कालीस
	01 - वानिकी		D.F.O. GIRIDIH WEST	हजार पाँच सौ
	101 - बन संरक्षण, विकास तथा संपोषण		FOR. DIV.	
	58 - अधिसूचित बन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण			
	01-अधिसूचित बनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण			
	01 - वेतन एवं भत्ते		03 - मजदुरी	
	State Scheme :	NA		
	Central Scheme :	NA		

योगः

कल्पित शोध

रुपये अठावन लाख चार हजार पॉच सौ

3.775.000,00

5,804,500.00

(NAND KISHORE SINGH)

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकारी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 24060110158010103	31737	DMKFOR010 AVIROOP SINHA D.F.O.DUMKA	920,700.00 रुपये नौ लाख बीस हजार सात सौ
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते		03 - मजदूरी	
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
8	S 19 24060110158010103	31738	GDDFOR164 PATRUNI RAJENDRA NAIDU DFO GODDA FOREST DIVISION	552,400.00 रुपये चौंच लाख बावन हजार चार सौ
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते		03 - मजदूरी	
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
9	S 19 24060110158010103	31739	PLMFOR070 SAUMITRA SHUKLA IFS D.F.O.MEDININAGAR. OREST.DIV.	1,381,100.00 रुपये तेरह लाख इक्कायासी हजार एक सौ
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते		03 - मजदूरी	
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
योगः	रुपये छियासी लाख अठाबन हजार सात सौ			2,854,200.00
क्रमिक योगः				8,658,700.00
			(NAND KISHORE SINGH) ADDL PCCE DEV JHARKHAND	

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 24060110158010103	31740	GRHFWL004 SHASHI KUMAR D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA	460,400.00 रुपये चार लाख साहट हजार चार सौ
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते		03 - मजदुरी	
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
11	S 19 24060110158010103	31741	JSRFOR051 MAMTA PRIYADARSHI (I.F.S) D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.	920,700.00 रुपये नौ लाख बीस हजार सात सौ
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते		03 - मजदुरी	
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
12	S 19 24060110158010103	31742	SKLFOR001 ADITYA NARAYAN D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN	920,700.00 रुपये नौ लाख बीस हजार सात सौ
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते		03 - मजदुरी	
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
योगः	रुपये एक करोड नौ लाख साहट हजार पाँच सौ			2,301,800.00
क्रमिक योगः				10,960,500.00
			(NAND KISHORE SINGH) ADDI PCCE DEV JHARKHAND	

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	31743	DRNFWL013 SRIKANT IFS DFO. RANCHI FORES DIVISION RA 03 - मजदूरी	920,700.00 रुपये नौ लाख बीस हजार सात सौ
14	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	31744	RNCFOR01 KULDEEP MEENA D.F.O KHUNTI 03 - मजदूरी	552,400.00 रुपये पॉव लाख बावन हजार चार सौ
15	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	31745	GMLFOR001 SRIKANT IFS D.F.O. GUMLA 03 - मजदूरी	460,400.00 रुपये चार लाख साढ़े हजार चार सौ
योग: 1,933,500.00 क्रमिक योग: 12,894,000.00				

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	31746	SUNIL KUMAR D.F.O. S.F.DIV.ADITYAPUR JSR. 03 - मजदूरी	460,400.00 रुपये चार लाख साहट हजार चार सौ
17	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	31747	SAUMITRA SHUKLA DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW 03 - मजदूरी	460,400.00 रुपये चार लाख साहट हजार चार सौ
18	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	31748	SAUMITRA SHUKLA D.F.O. S.F.D LATEHAF 03 - मजदूरी	460,400.00 रुपये चार लाख साहट हजार चार सौ
State Scheme : NA Central Scheme : NA				
State Scheme : NA Central Scheme : NA				
State Scheme : NA Central Scheme : NA				
<p>योगः क्रमिक योगः</p> <p>रुपये एक करोड बयालीस लाख पचहत्तर हजार दो सौ</p> <p>(NAND KISHORE SINGH) ANDI PCCE DEV JHARKHAND</p>				
<p>1,381,200.00</p> <p>14,275,200.00</p>				

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
19	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	31749	DMKFOR003 SUSHIL SOREN (I.F.S) D.F.O.S.F.DIVDUMKA 03 - मजदूरी	460,400.00 रुपये चार लाख साल हजार चार सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
20	S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	31750	DGRFORE88 RAJ KUMAR SAH DFO DEO.FOR.DIV.DEO. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	7,900.00 रुपये साल हजार नौ सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
21	S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	31751	HZBFWL005 RAVINDRA NATH MISHRA I.F.S. D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	96,100.00 रुपये छवानवे हजार एक सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
<p>योग: 564,400.00 क्रमिक योग: 14,839,600.00</p> <p style="text-align: center;">रुपये एक करोड अड्डालीस लाख उनचालीस हजार छ: सौ</p> <p style="text-align: center;">(INAND KISHORE SINGH) ADDL PO/CE/DEV/JHARKHAND</p>				

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
22	S 19 24060110158010323	31752	CTRFOR002 R.THANGA PANDIAN D.F.O, NORTH DIV. CHATRA	96,100.00 रुपये छयानवे हजार एक सौ
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय		23 - आपूर्ति एवं सामग्री	
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
23	S 19 24060110158010323	31753	CTRFOR003 SURENDRA PRASAD SUMAN D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	144,200.00 रुपये एक लाख चवालीस हजार दो सौ
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय		23 - आपूर्ति एवं सामग्री	
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
24	S 19 24060110158010323	31754	BKRFOR001 ARUN KUMAR SINGH D F O, BOKARO	57,700.00 रुपये सत्तावन हजार सात सौ
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन मंरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय		23 - आपूर्ति एवं सामग्री	
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
योग:	रुपये एक करोड इकावन लाख रुपये हजार छ: सौ			298,000.00
क्रमिक योग:				15,137,600.00
			(NAND KISHORE SINGH) ADDI BCCF DEV JHARKHAND	

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
25	S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	31755	GRDFOR003 SHABA ALAM ANSARI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	192,200.00 रुपये एक लाख बयानवे हजार दो सौ
26	S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	31756	DMKFOR010 AVIROOP SINHA D.F.O.DUMKA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	96,100.00 रुपये छयानवे हजार एक सौ
27	S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	31757	GDDFOR164 PATRUNI RAJENDRA NAIDU DFO GODDA FOREST DIVISION 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	57,700.00 रुपये सत्तावन हजार सात सौ
योग: 346,000.00 क्रमिक योग: 15,483,600.00				
(NAND KISHORE SINGH) 				

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
28	S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - बन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित बन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित बनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	31758	PLMFOR070 SHAUMITRA SHUKLA IFS D.F.O.MEDININAGAR. OREST.DIV. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	144,200.00 रुपये एक लाख चावलीस हजार तीन सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
29	S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - बन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित बन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित बनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	31759	GRHFWL004 SHASHI KUMAR D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	48,100.00 रुपये अडतालीस हजार एक सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
30	S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - बन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित बन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित बनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	31760	JSRFOR051 MAMTA PRIYADARSHI (I.F.S) D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	96,100.00 रुपये छयानवे हजार एक सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

गुरु

• 3

रुपये एक करोड़ सत्तावन लाख बहत्तर हजार

288,400.00

15,772,000.00

(NAND KISHORE SINGH)

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
31	S 19 24060110158010323	31761	SKLFOR001	96,100.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		ADITYA NARAYAN	रुपये छयानदे हजार एक सौ
	101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण		D. F. O.	
	58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण		SERAIKELLA-KHARSA	
	01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण		WAN	
	03 - प्रशासनिक व्यय		23 - आपूर्ति एवं सामग्री	
	State Scheme :	NA		
	Central Scheme :	NA		
32	S 19 24060110158010323	31762	DRNFWL013	96,100.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		SRIKANT IFS	रुपये छयानदे हजार एक सौ
	101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण		DFO. RANCHI FORES	
	58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण		DIVISION RA	
	01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण			
	03 - प्रशासनिक व्यय		23 - आपूर्ति एवं सामग्री	
	State Scheme :	NA		
	Central Scheme :	NA		
33	S 19 24060110158010323	31763	RNCFORK01	57,700.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		KULDEEP MEENA	रुपये सत्तावन हजार सात सौ
	101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण		D.F.O KHUNTI	
	58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण			
	01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण			
	03 - प्रशासनिक व्यय		23 - आपूर्ति एवं सामग्री	
	State Scheme :	NA		
	Central Scheme :	NA		

योगः

रुपये एक करोड साहस्र लाख इक्कीस हजार नौ सौ

249,900.00

क्रमिक योगः

16,021,900.00

(NAND KISHORE SINGH)

S. AMBI PCCE DEV JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकारी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
34	S 19 24060110158010323	31765	JSRFOR116 SUNIL KUMAR D.F.O. S.F.DIV.ADITYAPUR JSR. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	48,000.00 रुपये अडतालीस हजार
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय			
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
35	S 19 24060110158010323	31766	GRHFWL003 SAUMITRA SHUKLA DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	48,000.00 रुपये अडतालीस हजार
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय			
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
36	S 19 24060110158010323	31767	LTRFOR004 SAUMITRA SHUKLA D.F.O. S.F.D LATEHAF 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	48,000.00 रुपये अडतालीस हजार
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय			
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
योग:	रुपये एक करोड इकसठ लाख पैसठ हजार नौ रुपी			144,000.00
क्रमिक योग:				16,165,900.00
			(NAND KISHORE SINGH) SARANI PCCF DEV JHARKHAND	

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
37	S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	31768	DMKFOR003 SUSHIL SOREN (I.F.S) D.F.O.S.F.DIVDUMKA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	48,000.00 रुपये अडतालीस हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
38	S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	31769	GMLFOR001 SRIKANT IFS D.F.O. GUMLA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	48,000.00 रुपये अडतालीस हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योगः

ਰੁਪਥੇ ਏਕ ਕਰੋਡ ਬਾਸਥ ਲਾਖ ਇਕਸਥ ਹਜਾਰ ਨੌ ਸੌ

96,000.00

क्रमिक योगः

(NAND KISHORE SINGH)

16,261,900.00